



भारतीय रिज़र्व बैंक

----- RESERVE BANK OF INDIA -----

www.rbi.org.in

भारिबैं / 2011-12 / 83

ग्राआकृवि.सं.एसएमइ ऍण्ड एनएफएस.बीसी. 9 / 06.02.31/2011-12

1 जुलाई 2011

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय ,

मास्टर परिपत्र

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमइ) क्षेत्र को उधार

जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार से संबंधित मामलों में समय-समय पर दिशा-निर्देश/अनुदेश/निदेश जारी किए हैं। बैंकों को सभी वर्तमान अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के प्रयोजन से उपर्युक्त विषय पर विद्यमान दिशा-निर्देशों /अनुदेशों /निदेशों को समाहित करते हुए एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जो संलग्न है। इस मास्टर परिपत्र में, परिशिष्ट में सूचीबद्ध किए हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जून 2011 तक जारी वाणिज्य बैंकों द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार देने से संबंधित उन सभी अनुदेशों को समेकित किया गया है।

2. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(सी. डी. श्रीनिवासन)

मुख्य महाप्रबंधक

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 10 वी मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, पोस्ट बाक्स सं. 10014, मुंबई-400 001
फोन : 2266 1602 फैक्स: 2262 1011/2261 0943/2261 0948 ई -मेल : cgmincrpcd@rbi.org.in

Rural Planning & Credit Dept., Central Office, 10th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, P.Box No. 10014, Mumbai 400 001
Tel : 2266 1602 Fax : 2262 1011/2261 0943/2261 0948 E-mail : cgmincrpcd@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार

खण्ड - I

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमडी) अधिनियम, 2006

भारत सरकार ने दिनांक 16 जून 2006 को माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमडी) अधिनियम, 2006 बनाया है जिसे 2 अक्टूबर 2008 को अधिसूचित किया गया। एमएसएमडी अधिनियम, 2006 लागू हो जाने से जो स्पष्ट परिवर्तन आया है वह है उक्त क्षेत्र में मध्यम उद्यमों को सम्मिलित करने के अलावा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा में सेवा क्षेत्र को शामिल करना है। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमडी) अधिनियम, 2006 ने विनिर्माण या उत्पादन तथा सेवाएं उपलब्ध या प्रदान करने में लगे माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा आशोधित की है। रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को परिवर्तन के बारे में सूचित कर दिया है। इसके साथ ही, अधिनियम में दी गई परिभाषा को, रिज़र्व बैंक के दिनांक 4 अप्रैल 2007 के परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 63/06.02.31/2006-07 के अनुसार बैंक ऋण के प्रयोजनों के लिए अपनाया गया है।

(क) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा

(क) नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार वस्तुओं के विनिर्माण, प्रसंस्करण या परिरक्षण के कार्य में लगे उद्यम :

- i) माइक्रो उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनों में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक न हो;
- ii) लघु उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनों में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक हो परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो ; तथा
- iii) मध्यम उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनों में निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक हो परंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

उपर्युक्त उद्यमों के मामले में, संयंत्र और मशीनों में निवेश वह मूल लागत है जिसमें भूमि और भवन तथा लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2006 की अधिसूचना सं. एसओ.1722 (इ) में निर्दिष्ट मद शामिल नहीं हैं (अनुबंध 1) ।

(ख) सेवाएं उपलब्ध कराने अथवा प्रदान करने में लगे उद्यम एवं जिनका उपकरणों में निवेश (भूमि और भवन तथा फर्नीचर, फिटिंग्स और ऐसी अन्य मदों को, जो प्रदान की जाने वाली सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं या एमएसएमडी अधिनियम, 2006 में यथा अधिसूचित मदों को छोड़कर मूल लागत) नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है :

- (i) **माइक्रो उद्यम** वह उद्यम है जिसका उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक न हो ;
- (ii) **लघु उद्यम** वह उद्यम है जिसका उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक हो परंतु 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो; और
- (iii) **मध्यम उद्यम** वह उद्यम है जिसका उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक हो परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

इनमें - छोटे सड़क और जल मार्ग परिवहन परिचालक, छोटे कारोबार, व्यवसायी एवं स्वनियोजित व्यक्ति तथा अन्य सेवा उद्यम शामिल होंगे ।

बैंकों द्वारा मध्यम उद्यमों को दिए गए ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा ।

- (iv) चूंकि एमएसएमई अधिनियम, 2006 में उसी व्यक्ति / कंपनी द्वारा स्थापित भिन्न-भिन्न उद्यमों के निवेशों को सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ एक साथ मिलाने (क्लब करने) का प्रावधान नहीं है, इसलिए औद्योगिक उपकरणों के लघु उद्योग के रूप में वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु एक ही स्वामित्व के दो या अधिक उद्यमों के निवेशों को एक साथ मिलाने के संबंध में 1 जनवरी 1993 की गज़ट अधिसूचना सं. एस.ओ. 2 (ई) को 27 फरवरी 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस.ओ. 563 (ई) के द्वारा रद्द कर दिया गया है।

1.1 खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र (केवीआइ)

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र की इकाइयों को, परिचालनों के आकार, अवस्थिति तथा संयंत्र और मशीनरी में मूल निवेश की राशि पर ध्यान दिए बिना प्रदत्त सभी अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम के अंतर्गत शामिल होंगे तथा एमएसई क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म (माइक्रो) उद्यम हेतु नियत उप-लक्ष्य (60 प्रतिशत) के अधीन विचार करने के लिए पात्र होंगे।

1.2.0 अप्रत्यक्ष वित्त

- 1.2.1 ऐसे व्यक्ति जो कारीगरों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को निविष्टियों की आपूर्ति तथा उनके उत्पादनों के विपणन का कार्य कर विकेंद्रित क्षेत्र की सहायता कर रहे हों।
- 1.2.2 विकेंद्रित अर्थात् कारीगरों,ग्राम एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं को अग्रिम।
- 1.2.3 व्यष्टि और लघु उद्यम (विनिर्माण तथा सेवा) को आगे उधार देने हेतु व्यष्टि वित्त संस्थानों को 1 अप्रैल 2011 को या उसके बाद प्रदान ऋण बशर्ते "प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार" पर दिनांक 1 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केका.प्लान.बीसी. 10/04.09.01/2011-12 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हो।

खंड - II

निधि-विनियोजन के कतिपय प्रकार जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के पात्र हैं

2.1 निवेश

2.1.1 प्रतिभूतिकृत आस्तियां

बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत ऐसी आस्तियों में किए गए निवेश, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के विभिन्न श्रेणियों को दिए गए ऋणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अंतर्निहित आस्तियों के आधार पर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंधित वर्ग में (प्रत्यक्ष या परोक्ष) में वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे बशर्ते प्रतिभूतिकृत आस्तियां बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रारंभ की गई हों तथा प्रतिभूतिकरण से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करती हों। इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिभूतिकृत आस्तियों की उक्त श्रेणियों में बैंक के निवेश प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों में वर्गीकरण की पात्र तभी होंगे जब प्रतिभूतिकृत अग्रिम प्रतिभूतिकरण से पहले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र रहे हों।

2.1.2 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने की पात्र किसी ऋण आस्ति की एकमुश्त खरीद प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के संबंधित वर्गों में वर्गीकरण के लिए पात्र होगी बशर्ते, खरीदे गए ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र हों; ऋण आस्तियां विक्रेता के आश्रय बिना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से (पूरी सावधानी से और उचित मूल्य पर) क्रय किए गए हो और पात्र ऋण आस्तियों का खरीद की तारीख से छःमाह की अवधि के अन्दर, चुकौती के एक उपाय से भिन्न रूप में, निस्तारण नहीं किया गया हो।

2.1.3 बैंकों द्वारा जोखिम में हिस्सेदारी के आधार पर अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) में किए गए निवेश प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंधित वर्गों में वर्गीकरण के लिए पात्र होगा बशर्ते अंतर्निहित आस्तियां प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाने की पात्र हों और वे निवेश की तारीख से कम से कम 180 दिवस के लिए धारित की गई हों।

2.2 लघु उद्यम वित्तीय केन्द्रों की (एसईएफसी) योजना :

वार्षिक नीति वक्तव्य 2005-06 में गवर्नर महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार लघु उद्योग मंत्रालय और बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सिडबी, आईबीए और चुनिंदा बैंकों के परामर्श से समूहों में स्थिति बैंकों और सिडबी की शाखाओं के बीच "लघु उद्यम वित्तीय केंद्र" नामक कार्यनीतिक सहयोग की एक योजना तैयार की गई है और कार्यान्वयन हेतु 20 मई 2011 को सभी अनुसूचित

वाणिज्य बैंकों को परिचालित की गई है। सिडबी ने अब तक 15 बैंकों (बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, आंध्रा बैंक, इंडियन बैंक, कार्पोरेशन बैंक, आइडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, तथा फेडरल बैंक) के साथ समझौता ज्ञापन संपादित किया है। वर्तमान सिडबी शाखाओं द्वारा कवर किये गये माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम समूहों की सूची **अनुबंध II** में प्रस्तुत है।

खंड III

घरेलू वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार का लक्ष्य

3.1 घरेलू वाणिज्य बैंक के लिए लक्ष्य

- 3.1.1 घरेलू वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को देय ऋण में वृद्धि करें और यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम (जिसमें माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र शामिल हैं), समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% या तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि, में से जो भी अधिक हो, के बराबर हों।
- 3.1.2 एमएसएमई पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को व्यष्टि और लघु उद्यमों को ऋण में 20 प्रतिशत वर्षानुवर्ष संवृद्धि तथा व्यष्टि उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है।
- 3.1.3 एमएसई क्षेत्र के भीतर व्यष्टि उद्यमों को पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -
- (क) एमएसई क्षेत्र हेतु नियत कुल अग्रिम का 40 प्रतिशत ऐसे माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में 5 लाख रुपये तक का निवेश हो, तथा ऐसे माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में 2 लाख रुपए तक का निवेश हो, को दिया जाना चाहिए;
- (ख) एमएसई क्षेत्र के लिए नियत कुल अग्रिम का 20% ऐसे माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश 5 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए तक हो; तथा माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में किया गया निवेश 2 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक हो, को दिया जाना चाहिए। इस तरह एमएसई अग्रिमों का 60% व्यष्टि उद्यमों को जाना चाहिए।
- (ग) जबकि प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को उपर्युक्तानुसार 60% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया, व्यष्टि उद्यमों को एमएसई अग्रिमों का 60% आबंटन चरणों में प्राप्त किया जाना है अर्थात् वर्ष 2010-11 में 50%, वर्ष 2011-12 में 55% तथा वर्ष 2012-13 में 60%।

3.2 विदेशी बैंकों के लिए निर्धारित लक्ष्य

- 3.2.1 विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण बढ़ाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम (जिनमें एमएसई क्षेत्र शामिल है) में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 32% या तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, शामिल होना चाहिए।
- 3.2.2 विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित किये जाने वाले 32% लक्ष्य की समग्र सीमा में ही एमएसई क्षेत्र को देय अग्रिम समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 10 प्रतिशत या तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, नहीं होना चाहिए।
- 3.2.3 एमएसएमई पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को व्यष्टि और लघु उद्यमों को ऋण में 20 प्रतिशत वर्षानुवर्ष संवृद्धि तथा व्यष्टि उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है।
- 3.2.4 एमएसई क्षेत्र के भीतर व्यष्टि उद्यमों को पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -
- (क) एमएसई क्षेत्र हेतु नियत कुल अग्रिम का 40 प्रतिशत ऐसे माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में 5 लाख रुपये तक का निवेश हो, तथा ऐसे माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में 2 लाख रुपये तक का निवेश हो, को दिया जाना चाहिए;
- (ख) एमएसई क्षेत्र के लिए नियत कुल अग्रिम का 20% ऐसे माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश 5 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक हो; तथा माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में किया गया निवेश 2 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक हो, को दिया जाना चाहिए। इस तरह एमएसई अग्रिमों का 60% व्यष्टि उद्यमों को जाना चाहिए।
- (ग) जबकि प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को उपर्युक्तानुसार 60% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया, व्यष्टि उद्यमों को एमएसई अग्रिमों का 60% आबंटन चरणों में प्राप्त किया जाना है अर्थात् वर्ष 2010-11 में 50%, वर्ष 2011-12 में 55% तथा वर्ष 2012-13 में 60%—

3.3 रिजर्व बैंक द्वारा उल्लिखितानुसार विदेशी बैंकों द्वारा सिडबी में जमा राशि या अन्य वित्तीय संस्थानों के पास निधि

- 3.3.1 जिन विदेशी बैंकों ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए निर्धारित लक्ष्य / उप-लक्ष्य से कम ऋण दिए हैं उन्हें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में या अन्य वित्तीय संस्थानों की निधि में या समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जानेवाले प्रयोजनों के लिए अंशदान करना होगा।

- 3.3.2 ऐसे आबंटन के प्रयोजन के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च माह के सूचना देनेवाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संबंध में प्राप्त स्तर को हिसाब में लिया जाएगा (अर्थात् वर्ष 2009-2010 में सिडबी या किसी अन्य वित्तीय संस्थानों के पास निधि में आबंटन के लिए सूचना देनेवाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार लक्ष्य/उप-लक्ष्य के संबंध में प्राप्त स्तर को हिसाब में लिया जाएगा)।
- 3.3.3 आधारभूत निधि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित की जाएगी। जमाराशियों की अवधि तीन वर्ष या रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारितानुसार होगी। विदेशी बैंकों द्वारा किया जानेवाला अंशदान, विदेशी बैंक के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के निर्धारित लक्ष्य/उप-लक्ष्य की प्राप्ति में आई कमी की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 3.3.4 सिडबी/या ऐसी अन्य कोई वित्तीय संस्था जिसका निर्धारण रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाएगा, निधियों की आवश्यकता पड़ने पर एक माह पूर्व सूचना देकर संबंधित विदेशी बैंकों को अंशदान करने के लिए कहेगी।
- 3.3.5 विदेशी बैंकों के अंशदान पर ब्याज दरें, जमाराशियों की अवधि आदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

3.4 विभिन्न प्रयोजनों के लिए विनियामक क्लीयरेंस / अनुमोदन देते समय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाना एक विचारणीय मद होगी।

(एएनबीसी या तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि (भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा समय-समय पर यथापरिभाषित) की गणना पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया राशि के संदर्भ में की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए बकाया एफसीएनआर (बी) और एनआरएनआर जमाशेषों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के प्रयोजन के लिए एएनबीसी की गणना करने के लिए अब घटाया नहीं जाएगा। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के प्रयोजन के लिए एएनबीसी का मतलब है एनबीसी प्लस एचटीएम वर्ग में धारित गैर एसएलआर बाँडों में बैंकों द्वारा किया गया निवेश। भारत सरकार द्वारा जारी पुनर्पूजीकरण बाँडों में बैंकों द्वारा किया गया निवेश एएनबीसी की गणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

एचटीएम वर्ग में धारित गैर एसएलआर बाँडों में बैंकों द्वारा किए गए मौजूदा और नए निवेश को इस प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों, भले ही उन्हें अनुसूची 8-तुलनपत्र में मद I(vi) - "अन्य" में "निवेश" के अंतर्गत दिखाया गया हो, को प्राप्त न करने के बदले नाबाई / सिडबी, जैसी भी स्थिति हो, में रखी गई जमाराशियों को एचटीएम वर्ग में धारित गैर एसएलआर बाँडों में किया गया निवेश नहीं माना जाएगा। तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि की गणना करने के प्रयोजन के लिए बैंक वर्तमान एक्सपोजर प्रणाली का उपयोग करें। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों / उप-लक्ष्यों के प्रयोजन के लिए अंतर-बैंक एक्सपोजर को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।)।

खंड IV

एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश / अनुदेश

4.1 आवेदनों का निपटान

लघु उद्योग के लिए 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी आवेदनों का निपटान दो सप्ताह में हो जाना चाहिए तथा 5 लाख रुपए तक की राशि वाले आवेदनों का 4 सप्ताह के भीतर, बशर्ते कि ऋण आवेदन सभी तरह से पूरे भरे हों तथा उनके साथ एक "चेक लिस्ट" हो ।

4.2 संपार्थिक

बैंकों को अनिवार्य किया गया है कि एमएसई क्षेत्र में इकाइयों को 10 लाख रुपए तक दिए गए ऋणों के मामलों में संपार्थिक जमानत स्वीकार न किया जाए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि केवीआइसी के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित सभी इकाइयों को 10 लाख रुपए तक संपार्थिक रहित ऋण प्रदान किया जाए। एमएसई इकाइयों का अच्छा रिकार्ड तथा वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक, ऋण हेतु संपार्थिक अपेक्षाओं में छूट की सीमा को 25 लाख रुपए तक बढ़ा सकता है (उचित प्राधिकारी के अनुमोदन से) । बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने शाखा स्तरीय अधिकारियों को ऋण गारंटी योजना कवर का उपभोग कराने हेतु प्रभावशाली ढंग से प्रोत्साहित करें तथा इस संबंध में उनके फील्ड स्टाफ के मूल्यांकन में कार्य-निष्पादन को मानदंड के रूप में शामिल करें।

4.3 संमिश्र ऋण

बैंकों द्वारा 1 करोड़ रु. तक की संमिश्र ऋण सीमा स्वीकृत की जा सकती है ताकि एमएसई उद्यमी एक ही स्थान पर अपनी कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण अपेक्षाओं का उपयोग कर सके।

4.4 एमएसएमई की विशेषीकृत शाखाएं

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया है कि वे प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेषीकृत शाखा खोलें । साथ ही, बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे 60% से अधिक एमएसएमई क्षेत्र को अग्रिम वाली अपनी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशेषीकृत एमएसएमई शाखाओं के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं ताकि वे समग्र रूप से इस क्षेत्र को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु और अधिक विशेषीकृत एमएसएमई शाखाएं खोल सकें ।

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण में वृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित पॉलिसी पैकेज के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक लघु उद्यमों की अधिकता वाले पहचाने गये समूहों / केन्द्रों में विशेषीकृत एमएसएमई शाखाएं सुनिश्चित करेंगे ताकि उद्यमी आसानी से बैंक ऋण ले सकें तथा बैंक कार्मिक आवश्यक विशेषज्ञता विकसित कर सकें। विद्यमान विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं को एमएसएमई शाखाओं के रूप में पुनःनामित किया जाए। हालांकि उनकी महत्वपूर्ण क्षमता एमएसएमई क्षेत्र को वित्त और अन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु उपयोग में लायी जाएगी, उनके पास अन्य क्षेत्रों / उधारकर्ताओं को वित्त / अन्य सेवाएं प्रदान करने का परिचालन संबंधी लचीलापन रहेगा।

4.5 विलंबित भुगतान

लघु उद्योग और अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज से संबंधित संशोधन अधिनियम, 1998 के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों को विलंबित भुगतान की देखरेख के लिए दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 लागू होने के बाद लघु एवं अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों के लिए विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1998 के वर्तमान प्रावधानों को मजबूत किया गया है जो निम्नानुसार हैं :

- (i) यदि क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व क्रेता द्वारा लिखित रूप में भुगतान करना या, यदि कोई समझौता नहीं हुआ हो तो नियत दिन से पूर्व भुगतान करना। विक्रेता और क्रेता के बीच हुए समझौते की अवधि 45 दिन से अधिक नहीं होगी।
- (ii) यदि क्रेता आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान नहीं कर पाया तो वह राशि पर नियत दिन या निर्धारित तारीख से रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना चक्रवृद्धि ब्याज, मासिक अंतराल सहित भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।
- (iii) आपूर्तिकर्ता द्वारा माल या सेवा की आपूर्ति के लिए क्रेता उक्त (00) में सूचित ब्याज के भुगतान हेतु बाध्य होगा।
- (iv) देय राशि में विवाद होने पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित माइक्रो और लघु उद्यम सुविधा सेवा परिषद से संपर्क किया जाएगा।

साथ ही, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विशेषतः एमएसएमई से खरीद से संबंधित भुगतान बाध्यता की पूर्ति हेतु बड़े उधारकर्ताओं के लिए समग्र कार्यकारी पूंजी सीमाओं के भीतर उप-सीमाएं निर्धारित करें।

4.6 रुग्ण लघु उद्योग (अब एमएसई) इकाइयों के पुनर्वास पर दिशा-निर्देश (कोहली कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर)

परिभाषा के अनुसार किसी इकाई को तब रुग्ण माना जाएगा जब इकाई का कोई उधार खाता छः माह से अधिक अवधि के लिए अवमानक रहता हो या पूर्व लेखा वर्ष के दौरान संचित नकद हानि के कारण उसके निवल मूल्य में 50 प्रतिशत की सीमा तक ह्रास हुआ हो तथा उक्त इकाई कम से कम दो वर्ष से वाणिज्य उत्पादन कार्य में हो। उक्त मानदंड से बैंक प्रारंभिक अवस्था में ही रुग्णता पहचान सकेंगे और इकाई के पुनरूत्थान हेतु सुधारात्मक उपाय कर सकेंगे। दिशा-निर्देशों के अनुसार इकाई का संभाव्य रूप से अर्थक्षम / अर्थक्षम घोषित किए जाने की तारीख से छः माह के भीतर पुनर्वास पैकेज को पूर्णतः कार्यान्वित किया जाना चाहिए। पुनर्वास पैकेज को पहचानने और कार्यान्वित करने की इस छः माह की अवधि के दौरान बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वे " परिचालन धारण " करें जिससे रुग्ण इकाई नकदी ऋण खाते से बिक्री आगम की जमाराशि की सीमा तक निधियां आहरित कर सकेंगी। संभाव्य अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्गठन हेतु राहत और रियायतों के लिए व्यापक मानदंड निम्नानुसार हैं :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| (i) कार्यशील पूंजी पर ब्याज | : | जहाँ भी लागू हो, वर्तमान निर्धारित / मूल उधार दर से 1.5% कम ब्याज |
| (ii) निधिक ब्याज मियादी ऋण | : | ब्याज रहित |
| (iii) कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण | : | जहाँ भी लागू हो, वर्तमान निर्धारित/मूल उधार दर से 1.5% कम (ब्याज लगाया जायेगा) |
| (iv) मीयादी ऋण | : | ब्याज में रियायतें डॉक्यूमेंट रेट से नीचे 2% से अधिक न दी जाए (अत्यंत लघु/विकेन्द्रित क्षेत्र इकाइयों के मामले में 3% से अधिक नहीं) |
| (v) आकस्मिकता ऋण सहायता | : | कार्यशील पूंजी के लिए रियायती दर की अनुमति है |

कोहली समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की सूचना सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक को देते हुए दिनांक 16 जनवरी 2002 को परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएनएफएस.बीसी.57/ 06.04.01/2001-02 जारी किया गया था।

4.7 राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति

रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास हेतु समन्वय की समस्याओं से निपटने के लिए सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समितियाँ गठित की गई हैं। इन समितियों की बैठकें भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संबंधित राज्य सरकार के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में की जाती हैं। यह समिति एक तरफ राज्य सरकार के अधिकारियों और राज्य स्तरीय संस्थानों तथा दूसरी तरफ मीयादी ऋण संस्थानों और बैंकों के बीच पर्याप्त आदान-प्रदान हेतु उपयोगी मंच उपलब्ध कराता है। यह उन इकाइयों को कार्यकारी पूंजी स्वीकृत करने पर कड़ी निगरानी रखता है जिन्हें एसएफसी द्वारा मीयादी ऋण उपलब्ध कराया गया हो, विशेष योजनाओं जैसे राज्य सरकार की मार्जिन मनी योजना, सिडबी की राष्ट्रीय ईक्विटी निधि योजना का कार्यान्वयन करता है तथा बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्योरे के आधार पर उद्योगों की सामान्य समस्याओं तथा लघु उद्योग में रूग्णता की समीक्षा करता है। दूसरों के साथ-साथ, स्थानीय राज्य स्तरीय लघु उद्योग संघ के प्रतिनिधियों को तिमाही आधार पर आयोजित एसएलआइआइसी की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। एसएलआइआइसी की एक उप-समिति प्रत्येक रूग्ण लघु उद्योग इकाई की समस्याओं की जांच करती है तथा अपनी सिफारिश एसएलआइआइसी के मंच के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करती है।

4.8 माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम के लिए अधिकार प्राप्त समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में यूनियन वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार क्षेत्रीय निदेशकों की अध्यक्षता में लघु और मध्यम उद्यमों पर अधिकार प्राप्त समितियाँ गठित की गई हैं। इन समितियों में राज्य स्तरीय बैंकर समिति संयोजक के प्रतिनिधि, दो बैंकों, जिनका राज्य में लघु और मध्यम उद्यम को वित्तपोषण में सर्वाधिक हिस्सा हो, के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, सिडबी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि, राज्य सरकार उद्योग के निदेशक, राज्य में लघु और मध्यम उद्यम / लघु उद्योग संघ के एक या दो वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि तथा एसएफसी/एसआइडीसी से एक वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे। इस समिति की बैठक नियत अवधि पर होगी तथा लघु और मध्यम उद्यम के वित्तपोषण में हुई प्रगति और रूग्ण लघु उद्योग / मध्यम उद्यम इकाइयों के पुनर्वास की भी समीक्षा करेगी। यह क्षेत्र को सहज ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने में आने वाली बाधाओं, यदि कोई हों, के निवारण हेतु अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकार के साथ समन्वय करेगी। ये समितियाँ समूह / जिला स्तर पर ऐसी ही समितियाँ गठित करने की आवश्यकता का निर्णय लेंगी।

4.9 माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम हेतु ऋण पुनर्गठन तंत्र

(i) लघु और मध्यम उद्यमों को उधार बढ़ाने हेतु माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की इकाइयों के लिए एक ऋण पुनर्गठन तंत्र बनाया गया है तथा इसकी सूचना सभी वाणिज्य बैंकों को दिनांक 8.9.2005 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं. 34/21.04.132/2005-06 द्वारा दी गई। ये विस्तृत दिशा-निर्देश सभी पात्र माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के ऋण का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करने हेतु जारी किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू होंगे जो अर्थक्षम या संभाव्य रूप से अर्थक्षम हैं :

क) सभी गैर निगमित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम चाहे बैंकों को अति देय राशि का स्तर जो भी हो।

ख) सभी निगमित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम जिन्हें एक ही बैंक से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे बैंकों को अति देय राशि का स्तर जो भी हो।

ग) सभी निगमित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम जिनका बहुविध / संघीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत निधिक और गैरनिधिक बकाया 10 करोड़ रुपए तक हो।

घ) ऐसे खाते जिनमें जान-बूझकर की गई चूक, कपट और धांधली हो, इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं होंगे।

ड) बैंकों द्वारा "हानि आस्तियां" के रूप में वर्गीकृत खाते पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं होंगे।

सभी निगमित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम जिनका निधिक और गैरनिधिक बकाया 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक हो, के लिए बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग ने दिनांक 10 नवम्बर 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 45/21.04.132/2005-06 द्वारा निगमित ऋण पुनर्गठन तंत्र पर अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बैंकों द्वारा एमएसएमई ऋण पुनर्गठन पर विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं तथा बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के दिनांक 27 अगस्त 2008 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 37/21.04.132/2008-09 द्वारा सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया।

ii) रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए कार्यदल की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 4 मई 2009 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमई. एंड एनएफएस.बीसी.सं. 102/06.04.01/2008-09 द्वारा सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि वे :

क) निदेशक मंडल के अनुमोदन से ऋण सुविधाएं प्रदान करने की नियंत्रक ऋण नीति, संभाव्य अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों / उद्यमों के पुनर्जीवन के लिए पुनर्गठन /पुनर्वास नीति तथा एमएसई क्षेत्र के लिए अनर्जक ऋण की वसूली के लिए नॉन-डिसक्रीशनरी एक बारगी निपटान योजना लागू करें तथा

ख) एमएसई क्षेत्र के समय पर तथा पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में सिफारिशें कार्यान्वित करें।

(iii) बैंकों को सूचित किया गया कि वे उनके द्वारा कार्यान्वित एकमुश्त निपटान योजना बैंक के वेबसाइट पर डालकर तथा अन्य संभावित प्रचार विधि के माध्यम से प्रचार करें। वे उधारकर्ताओं को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दें तथा बकाया की चुकौती भी करें ताकि पात्र उधारकर्ताओं को योजना के लाभ प्राप्त किए जा सकें।

4.10 समूह दृष्टिकोण

(i) लघु उद्योग के केन्द्रित विकास हेतु माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने 60 समूहों की पहचान की है। सभी राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी वार्षिक ऋण योजनाओं में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पहचाने गए समूहों की ऋण आवश्यकताओं को दर्ज करें।

गांगुली समिति की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 4-सी दृष्टिकोण - अर्थात् ग्राहक केन्द्रित लागत नियंत्रण, प्रति बिक्री तथा जोखिमबद्ध अपनाकर पहचाने गए एमएसई समूहों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से एमएसई क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण-सेवा दृष्टिकोण प्राप्त करें। उधार हेतु समूह आधारित दृष्टिकोण निम्नलिखित में लाभकारी होगा :

- क. सुपरिभाषित तथा मान्यता प्राप्त समूहों से व्यवहार ;
- ख. जोखिम निर्धारण हेतु उपयुक्त जानकारी की उपलब्धता तथा
- ग. उधारदाता संस्थानों की निगरानी।

समूहों को व्यापार रिकार्ड, प्रतिस्पर्धता तथा संवृद्धि संभावनाओं और /या अन्य समूह विशेष ब्योरे के आधार पर चुना जा सकता है।

(ii) वार्षिक नीति वक्तव्य 2007-08 के पैरा 157 में गवर्नर द्वारा की गई घोषणा के अनुसार दिनांक 8 मई 2007 के पत्र गाआऋवि.पीएलएनएफएस.सं. 10416/06.02.31/2006-07 द्वारा सभी एसएलबीसी

संयोजक बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एमएसएमइ क्षेत्र को ऋण प्रदान करने हेतु अपने संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा करें, विशेषकर देश के विभिन्न भागों में 21 राज्यों में फैले 388 समूहों में जो युनाइटेड नेशन औद्योगिक विकास संघ (यूएनआइडीओ) द्वारा चुने गए हैं। यूएनआइडीओ द्वारा चुने गए एसएमइ समूहों की सूची **अनुबंध III** में दी गई है।

(iii) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जन्म हेतु निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) तथा माइक्रो एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसइ-सीडीपी) के अंतर्गत 121 अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों में स्थित समूहों की सूची अनुमोदित की है। तदनुसार, देश के अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों में से माइक्रो और लघु उद्यमियों के समूहों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु उचित उपाय किये गये हैं।

(iv) एमएसएमइ पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को विभिन्न एमएसई समूहों में एमएसई केन्द्रित अधिक शाखा कार्यालय खोलने चाहिए जो एमएसई के लिए परामर्श केन्द्रों के रूप में कार्य कर सकें। किसी एक जिले के प्रत्येक अग्रणी बैंक कम से कम एक एमएसई समूह को अपनाए।

4.11 भारत सरकार, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन माइक्रो और लघु उद्यमों को प्रौद्योगिकी के x प्लान से xi प्लान में उन्नयन के लिए ऋण सहलग्न पूंजीगत सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) को जारी रखने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है :

- i) योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपए है ।
- ii) ऊपर क्रम संख्या (i) में बताई गई अधिकतम सीमा वाले माइक्रो और लघु उद्यमों की इकाइयों के लिए सब्सिडी की दर 15% है ।
- iii) स्वीकार्य सब्सिडी की गणना संयंत्र और मशीनरी के खरीदी मूल्य के आधार पर की जाएगी न कि लाभार्थी इकाई को दिए गए ऋण के आधार पर ।
- iv) सिडबी और नाबार्ड योजना की कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां बनी रहेंगी ।

4.12 मध्यम और लघु (एमएसइ) उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए समिति

4.12.1 लघु उद्योग(अब एमएसई) को ऋण पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (कपूर समिति)

भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की सुपुर्दगी प्रणाली सुधारने तथा कार्य-विधि के सरलीकरण हेतु उपाय सुझाने के लिए एकल व्यक्ति उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी जिसके अध्यक्ष श्री एस.एल.कपूर, (आइ.ए.एस.,सेवानिवृत्त), भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार,

उद्योग मंत्रालय थे । समिति ने 126 सिफारिशों की जिनमें लघु उद्योग क्षेत्र को वित्त पोषण से संबंधित व्यापक क्षेत्र शामिल हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन सिफारिशों की जांच की गई तथा 88 सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं :

- (i) तदर्थ सीमाएं प्रदान करने हेतु शाखा प्रबंधकों को अधिक शक्तियाँ प्रदान करना ;
- (ii) आवेदन फार्मों का सरलीकरण ;
- (iii) ऋण अपेक्षाओं के मूल्यांकन हेतु बैंकों को स्वयं के मानदंड निर्धारित करने की स्वतंत्रता;
- (iv) और अधिक विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाएं खोलना;
- (v) संमिश्र ऋण की सीमा में 5 लाख रु. तक की वृद्धि (अब बढ़ाकर 1 करोड़ रु.)
- (vi) वसूली तंत्र का मजबूत करना ;
- (vii) बैंकों द्वारा पिछड़े राज्यों के प्रति अधिक ध्यान देना ;
- (viii) छोटी परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु शाखा प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष कार्यक्रम ;
- (ix) बैंक द्वारा ग्राहक शिकायत तंत्र को अधिक पारदर्शी बनाना तथा शिकायतों के निपटान और उनकी निगरानी की प्रक्रिया सरल बनाना ।

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिनांक 28 अगस्त 1998 को एक परिपत्र ग्राआऋवि.सं. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 22/06.02.31/98-99 जारी किया गया जिसमें कपूर समिति की सिफारिशों के बारे में सूचित किया गया।

4.12.2 लघु उद्योग क्षेत्र (अब एमएसई) को संस्थागत ऋण की पर्याप्तता और संबंधित पहलुओं की जाँच हेतु समिति की रिपोर्ट (नायक समिति)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तत्कालीन उप गवर्नर श्री पी.आर.नायक की अध्यक्षता में दिसंबर 1991 में लघु उद्योगों (अब एमएसई) द्वारा वित्त प्राप्त करने से संबंधित मुद्दों की जाँच हेतु एक समिति गठित की गई थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट 1992 में प्रस्तुत की । समिति की सभी मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया गया है कि वे -

- i) लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते समय ग्रामीण उद्योगों, अत्यन्त लघु उद्योगों और अन्य छोटी इकाइयों को उसी क्रम में वरीयता दें ।

- ii) उन लघु उद्योग (अब एमएसई) इकाइयों को कार्यशील पूंजी ऋण सीमा उनकी अनुमानित वार्षिक आय के कम से कम 20% के आधार पर प्रदान करें ; जिनकी प्रत्येक इकाई की ऋण सीमा 2 करोड़ रु. तक (अब 5 करोड़ रु. हो गई है) हो ।
- iii) बॉटम-अप आधार पर वार्षिक ऋण बजट तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु उद्योग (अब एमएसई) क्षेत्र की विधिसंगत आवश्यकताएँ पूरी होती हैं ।
- iv) लघु उद्योगों (अब एमएसई) की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी जिलों को एक ही काउंटर पर सभी सुविधाएँ प्रदान करने की योजना उपलब्ध कराई जाए ।
- v) यह सुनिश्चित करें कि ऋण स्वीकृत होने और उसके संवितरण में विलम्ब नहीं होना चाहिए । ऋण प्रस्ताव की ऋण सीमा में कमी / अस्वीकृति होने पर संदर्भ उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाना चाहिए ।
- vi) ऋण स्वीकृति के लिए बदले में आवश्यक जमाराशि पर जोर न दिया जाए ।
- vii) विशेषीकृत लघु उद्योग(अब एमएसई) बैंक शाखाएँ खोलें अथवा बड़ी संख्या में लघु उद्योग (अब एमएसई) उधार खातों वाली शाखाओं को लघु उद्योग (अब एमएसई) विशेषीकृत शाखाओं में परिवर्तित करें ।
- viii) रुग्ण लघु उद्योग (अब एमएसई) इकाइयों की पहचान करें और उनमें सुधार के लिए तुरन्त आवश्यक कार्रवाई करें ।
- ix) लघु उद्योग (अब एमएसई) उधारकर्ताओं के लिए मानकीकृत ऋण आवेदन फार्म तैयार करें ।
- x) विशेषीकृत शाखाओं में कार्यरत स्टाफ में स्थिति संबंधी परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए ।

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिनांक 2 मार्च 2001 को एक परिपत्र ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 61/06.02.62/2000-01 जारी किया जिसमें नायक समिति की सिफारिशों के बारे में सूचित किया गया।

4.12.3 लघु उद्योगों (अब एमएसई) को ऋण उपलब्ध कराने पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट (गांगुली समिति)

गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक और ऋण नीति 2003-04 की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार डॉ. ए.एस.गांगुली की अध्यक्षता में "लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने पर कार्यकारी दल" का गठन किया गया ।

समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र के वित्तपोषण से संबंधित क्षेत्रों को व्यापक रूप से कवर करते हुए 31 सिफारिशों की हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकों से संबंधित सिफारिशों की जाँच की गई जिसमें से अभी तक निम्नलिखित 8 सिफारिशें स्वीकार की गईं और बैंकों को उनके कार्यान्वयन हेतु दिनांक 4 सितंबर 2004 के परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.28/06.02.31 (डब्ल्यूजी) / 2004-05 द्वारा सूचित किया गया जो निम्नानुसार है :-

- i) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण अपनाना ;
- ii) छोटे और अत्यंत लघु उद्योगों और उद्यमियों को सेवा देने वाले अग्रणी बैंकों द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं के सफल कार्य मॉडल के व्यापक प्रचार के साथ-साथ विशिष्ट परियोजनाओं को प्रायोजित करना ;
- iii) पहाड़ी क्षेत्रों की दिक्कतों, बार-बार बाढ़ से परिवहन में बाधा आने जैसी कठिनाइयों को देखते हुए अपने वाणिज्य निर्णय के आधार पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों (अब एमएसई) को उच्चतर कार्यकारी पूंजी सीमा स्वीकृत करना ;
- iv) बैंकों द्वारा ग्रामीण उद्योग के उन्नयन तथा ग्रामीण कामगारों, ग्रामीण उद्योगों और ग्रामीण उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सुधार के लिए नए उपाय खोजना ;
- v) विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को निर्धारित लक्ष्य से कम ऋण देने के कारण सिडबी के पास जमा की गई शार्ट फाल की राशि की अवधि तथा उसके ब्याज दर ढाँचे में संशोधन ।

4.13.1 केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2005 को घोषित लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण में वृद्धि हेतु पॉलिसी पैकेज

माननीय वित्त मंत्री , भारत सरकार ने 10 अगस्त 2005 को लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता बढ़ाने हेतु एक पॉलिसी पैकेज की घोषणा की थी। पॉलिसी पैकेज की कुछ विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :-

- लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा
- बैंकों द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण हेतु अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना
- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋणों की लागत को युक्तियुक्त बनाने के उपाय
- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को औपचारिक ऋण प्रदान करने में वृद्धि के उपाय
- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को वित्तपोषण हेतु समूह आधारित दृष्टिकोण

- रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अधिकारप्राप्त समितियों का गठन
- उद्यम की क्रेडिट रेटिंग से सहलग्न करके ऋण की लागत के साथ पारदर्शी रेटिंग प्रणाली अपनाकर माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋणों की लागत को युक्तिमूक्त बनाने के उपाय
- बैंकों की लेनदेन लागत को कम करने के लिए एमएसएमई प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए सिडबी द्वारा विकसित ऋण मूल्यांकन और रेटिंग टूल (कार्ट) जोखिम मूल्यांकन मॉडेल (रैम) और व्यापक रेटिंग मॉडेल से लाभ उठाने पर बैंकों द्वारा विचार किया जाना
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा लागू की गई क्रेडिट रेटिंग योजना के अन्तर्गत ख्यातिप्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के माध्यम से बैंकों द्वारा एमएसई इकाइयों की रेटिंग कराने पर विचार किया जाना
- बैंकों के बोर्डों द्वारा तैयार नीति अनुदेशों का व्यापक प्रचार तथा पहुँच आसान बनाना तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / निर्देशों को संबंधित बैंक तथा सिडबी की वेबसाइट में प्रदर्शित करने के साथ-साथ बैंक शाखाओं में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना ।

4.13.2 पॉलिसी घोषणाओं के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रमुख अनुदेश

केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित पॉलिसी पैकेज के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रमुख अनुदेश निम्नानुसार हैं :

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एसएमई के निधियन हेतु अपने लक्ष्य निर्धारित करें ताकि वे एसएमई को ऋण में वर्ष-दर-वर्ष न्यूनतम 20% की वृद्धि प्राप्त कर सकें। उद्देश्य यह है कि वर्ष 2009-10 तक अर्थात् 5 वर्ष की अवधि में एसएमई क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता दुगुनी अर्थात् 2004-05 के 67,600 करोड़ रुपए से बढ़कर 2009-10 तक 135,200 रुपए हो जाए।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया था कि वे उद्यम की क्रेडिट रेटिंग के साथ सहलग्न ऋण की लागत के साथ एक पारदर्शी रेटिंग प्रणाली अपनाएं।
- सभी बैंक, प्रति वर्ष अपनी प्रत्येक अर्ध शहरी/शहरी शाखाओं में कम से कम 5 नए लघु /मध्यम उद्यमों को औसतन ऋण कवर उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त प्रयास करें।
- बैंक लघु उद्यम की प्रधानता वाले समूहों/केन्द्रों में विशेषीकृत एमएसएमई शाखाएं खोलना सुनिश्चित करें ताकि उद्यमियों को आसानी से बैंक ऋण प्राप्त हो जाए।

इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2005 का ग्राआकृवि. पीएलएनएफएस बीसी.सं.31/06.02.31/2005-06 तथा दिनांक 25 अगस्त 2005 का ग्राआकृवि. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 35/06.02.31/2005-06 के परिपत्र जारी किए गए हैं।

4.14 भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड ने माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए बैंक प्रतिबद्धता की संहिता तैयार की है। यह स्वैच्छिक संहिता है जो बैंको द्वारा, जब वे माइक्रो लघु और मध्यम उद्यमों से संव्यवहार करते हैं, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमडी) अधिनियम, 2006 में परिभाषित किए गए अनुसार, अपनाए जाने के लिए बैंकिंग संव्यवहार के न्यूनतम मानक तय करती है। यह माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को संरक्षण प्रदान करती है और यह बैंकों को यह बताती है कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ संव्यवहार करते समय उनके दैनिक परिचालन में और वित्तीय समस्याओं की घड़ी में बैंकों से क्या अपेक्षा की गई है।

यह संहिता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामक और पर्यवेक्षी अनुदेशों को न तो परिवर्तित करती है और न ही अधिक्रमित करती है, बल्कि यह रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/दिशा निर्देशों का पालन करती है।

4.14.1 बीसीएसबीआई संहिता के उद्देश्य

यह संहिता इसलिए तैयार की गई है कि यह:-

क) सक्षम बैंकिंग सेवाओं तक माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की पहुंच को आसान बनाने के लिए उन्हें एक सकारात्मक बल प्रदान करती हैं।

ख) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ लेनदेन करने में न्यूनतम मानक तय करके अच्छे और उचित बैंकिंग संव्यवहारों का प्रसार करती है।

ग) पारदर्शिता बढ़ाती है ताकि सेवाओं से यथोचित रूप से क्या अपेक्षित है इसे भलिभांति समझा जा सके।

घ) प्रभावी संप्रेषणीयता के जरिए कारोबार की समझ में सुधार लाती है।

ड.) उच्चतर परिचालनगत मानकों को प्राप्त करने के लिए स्पर्धा के जरिए बाजारी शक्तियों को प्रोत्साहित करती है।

च) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों और बैंकों के बीच स्वच्छ और सौहार्द संबंध बढ़ाने के साथ-साथ बैंकिंग आवश्यकताओं के प्रति सामायिक और त्वरीत प्रतिसाद सुनिश्चित करती है।

छ) बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को बढ़ाती है।

संहिता का पूरा पाठ बीसीएसबीआई की वेबसाइट (www.bs.sbi.org.in) पर उपलब्ध है।

4.15 माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम पर प्रधान मंत्री का टास्क फोर्स

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) द्वारा उठाए विभिन्न मामलों पर विचार करने हेतु भारत सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स (अध्यक्ष:श्री टी.के.ए.नायर) गठित किया गया था। टास्क फोर्स ने एमएसएमई के कार्य अर्थात् ऋण, विपणन, श्रम, निकास नीति, मूलभूत सुविधाएं / प्रौद्योगिकी / कौशल उन्नयन तथा कर-निर्धारण से संबंधित विभिन्न उपायों की सिफारिश की। व्यापक सिफारिशों में वे उपाय जिन पर तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तथा विधि और नियामक ढांचा सहित मध्यावधि संस्थागत उपायों भी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के लिए सिफारिशें शामिल हैं।

बैंकों को टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखकर एमएसई क्षेत्र, विशेषतः माइक्रो उद्यमों को ऋण उपलब्धता बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम उठाने हेतु प्रेरित किया जाता है।

एमएसएमई पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के कार्यान्वयन की सूचना देते हुए सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिनांक 29 जून 2010 का परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमई एंड एनएफएस. बीसी.सं. 90/06.02.31/2009-10 जारी किया गया।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की रिपोर्ट माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट (msme.gov.in) पर उपलब्ध है।

4.16 माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) हेतु ऋण गारंटी योजना की समीक्षा करने हेतु कार्य-दल

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी योजना के कार्य की समीक्षा करने, उसके प्रयोग को बढ़ाने के उपाय सुझाने तथा एमएसई को संपार्श्विक रहित ऋण में वृद्धि को सुगम बनाने हेतु श्री वी.के.शर्मा, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्य-दल गठित किया गया था।

कार्य-दल की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को संपार्श्विक रहित ऋण सीमा को 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक अनिवार्यतः दुगुना करना तथा बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को आदेश देना कि वे सीजीएस कवर का उपभोग करने हेतु शाखा स्तर के पदाधिकारियों को प्रभावशाली ढंग से प्रोत्साहित करें तथा उनके फील्ड स्टाफ आदि का मूल्यांकन करने में इससे संबंधित कार्य-निष्पादन को एक मानदंड बनाए , शामिल है जो सभी बैंकों को सूचित किया गया।

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिनांक 6 मई 2010 का परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमई एंड एनएफएस. बीसी.सं. 79/06.02.31/2009-10 जारी किया गया जिसके द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि

वे एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को प्रदान 10 लाख रूपए तक के ऋण के मामलों में संपार्थिक जमानत स्वीकार न करें तथा यह सूचित किया गया कि वे सीजीएस कवर का उपभोग करने हेतु शाखा स्तर के पदाधिकारियों को प्रभावशाली ढंग से प्रोत्साहित करें जिसमें उनके फील्ड स्टाफ के मूल्यांकन में इससे संबंधित कार्य-निष्पादन को एक मानदंड बनाना शामिल हो।

कार्य-दल की अन्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है जिससे गारंटी योजना के प्रयोग में वृद्धि होगी तथा अभी-अभी शामिल तथा न शामिल किए गए एमएसई को ऋण की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि सरल होगी और अंततः दीर्घकालिक समाविष्ट वृद्धि की ओर अग्रसर होंगे।

लघु उद्योग मंत्रालय
अधिस्चना
नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1722 (अ)- केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27), जिसे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मदों को विनिर्दिष्ट करती है जिनकी लागत को उक्त अधिनियम के खण्ड 7 (1) (a) में वर्णित उद्यमों की दशा में संयंत्र एवं मशीनरी में विनिधान की गणना करते समय अपवर्जित किया जायेगा।

- (i) उपस्कर जैसे औजार, जिग्स, डाईयां, मोल्डस और रखरखाव के फालतू पुर्जे और उपभोज्य सामान की लागत ;
- (ii) संयंत्र और मशीनरी का प्रतिष्ठापन;
- (iii) अनुसन्धान और विकास उपस्कर और प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर;
- (iv) राज्य बिजली बोर्ड के विनियम के अनुसार उद्यमों द्वारा प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन सेट और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर;
- (v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या राज्य लघु उद्योग निगम को संदत्त बैंक प्रभार और सेवा प्रभार;
- (vi) केबलों का प्रतिष्ठापन या उपार्जन, वायरिंग, बस बारों, विद्युत नियंत्रण पेनल (जो किसी मशीन पर चढ़ी न हो) आइल सर्किट ब्रेकर्स या सूक्ष्म सर्किट ब्रेकर्स जो संयंत्र और मशीनरी को विद्युत शक्ति देने के लिए या सुरक्षात्मक उपाय के लिए आवश्यक रूप से प्रयोग किया जाना है;
- (vii) गैस उत्पादक संयंत्र;
- (viii) परिवहन प्रभार (बिक्रय कर या मूल्य वर्धित कर और उत्पाद शुल्क को छोड़कर) स्वदेशी मशीन के लिए उनके उत्पादन के स्थान से उद्यम के स्थान तक;
- (ix) संयंत्र और मशीनरी के परिनिर्माण करने में तकनीकी ज्ञान के लिए प्रदत्त प्रभार;
- (x) ऐसी भंडारण टंकी जो कच्चा माल और तैयार उत्पाद का भंडारण करते हों और जो उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित न हों, और
- (xi) अग्निशमन उपस्कर।

2. पैरा 1 के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की गणना करते समय उसके वास्तविक मूल्य को इस बात पर ध्यान दिये बिना कि चाहे मशीनरी नई है या पुरानी गणना में लिया जाएगा परन्तु तब जब कि मशीनरी आयातित है तो निम्नलिखित को, मूल्य की गणना करते समय सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात्

- (i) आयात शुल्क (विभिन्न खर्चों जैसे पतन से कारखाने के स्थल तक का परिवहन खर्च, पतन पर संदत्त डेमरेज प्रभार, को छोड़कर) ;

- (ii) नौवहन प्रभार;
- (iii) सीमा शुल्क निकासी प्रभार; और
- (iv) विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर ।

(फा.सं.4(1)/2006-एमएसएमई नीति)
जवाहर सरकार, अपर सचिव

वर्तमान सिडबी शाखाओं द्वारा कवर किए गए लघु और मध्यम उद्यमों की सूची

| क्रम सं. | शाखा कार्यालय | लघु उद्योग समूहों की सं. | उत्पाद |
|----------|---------------|--------------------------|--|
| 1 | हैदराबाद | 5 | छत के पंखे, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फार्मास्युटिकल्स - दवाएँ, हैंड पंप सैट और ढलाई का कारखाना |
| 2 | पटना | 19 | तांबे और जर्मन के बर्तन |
| 3 | दिल्ली | 19 | स्टेनलेस स्टील के बर्तन और छुरी-कांटा आदि, रसायन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, पैकेजिंग सामान, कागज उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, तार लगाना, धातु की वस्तुएँ बनाना, फर्नीचर, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, ऑटो कम्पोनेन्ट, होजयरी, सिले-सिलाए वस्त्र, सेनिटरी फिटिंग |
| 4 | अहमदाबाद | 17 | फार्मास्युटिकल्स, डाय और इन्टरमीडिएट्स, प्लास्टिक का ढलाई का सामान, सिले-सिलाए वस्त्र, टेक्सटाइल मशीनरी के पुर्जे, हीरा प्रसंस्करण, मशीन औजार , ढलाई, स्टील के बर्तन, लकड़ी का सामान और फर्नीचर, कागज का उत्पाद, चमड़े की चप्पल -जूते, धुलाई का पाउडर और साबुन, संगमरमर के पट्टे, बिजली से चलने वाले पम्प, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑटो पार्ट्स |
| 5 | सूरत | 4 | हीरा प्रसंस्करण, पावरलूम, लकड़ी का सामान और फर्नीचर, टेक्सटाइल मशीनरी |
| 6 | बड़ौदा | 3 | फार्मास्युटिकल - दवाएँ, प्लास्टिक प्रसंस्करण और लकड़ी का सामान और फर्नीचर |
| 7 | गोवा | 1 | फार्मास्युटिकल |

| | | | |
|----|------------------|----|--|
| 8 | फरीदाबाद | 3 | ऑटो कम्पोनेन्ट, इंजीनियरिंग समूह, पत्थर तोड़ना |
| 9 | गुडगाँव | 5 | ऑटो कम्पोनेन्ट, इलैक्ट्रानिक सामान, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, सिले सिलाए वस्त्र, मेकॅनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर |
| 10 | पारवानू (बादी) | 1 | इंजीनियरिंग उपस्कर |
| 11 | जम्मू | 3 | स्टील री-रोलिंग, तेल मिल, चावल मिल |
| 12 | जमशेदपूर | 1 | इंजीनियरिंग और गढाई |
| 13 | बंगलूर | 6 | पावरलूम, इलैक्ट्रानिक सामान, सिले सिलाए वस्त्र, लाइट इंजीनियरिंग, चमड़ा उत्पाद |
| 14 | कोच्ची/एर्नाकुलम | 3 | रबड़ उत्पाद, पावरलूम, समुद्री आहार प्रसंस्करण |
| 15 | औरंगाबाद | 2 | ऑटो कम्पोनेन्ट और फार्मास्युटिकल दवाएँ |
| 16 | मुम्बई | 11 | इलैक्ट्रानिक सामान, फार्मास्युटिकल मूल दवाएँ, खिलौने (प्लास्टिक), सिले-सिलाए वस्त्र, होजयरी, मशीन औजार, इंजीनियरिंग उपस्कर, रसायन, पैकेजिंग सामग्री, हाथ के औजार, प्लास्टिक उत्पाद |
| 17 | नागपुर | 6 | पावरलूम, इंजीनियरिंग और गढाई, स्टील फर्नीचर, सिले-सिलाए वस्त्र, हाथ के औजार, खाद्य प्रसंस्करण |
| 18 | पुणे | 6 | ऑटो कम्पोनेन्ट, इलैक्ट्रानिक सामान, खाद्य उत्पाद, सिले-सिलाए कपड़े फार्मास्युटिकल - दवाएँ, फाइबर ग्लास |
| 19 | ठाणे | 2 | फार्मास्युटिकल्स - दवाएँ और समुद्री आहार |
| 20 | भोपाल | 1 | इंजीनियरिंग उपस्कर |
| 21 | इन्दौर | 4 | फार्मास्युटिकल्स - दवाएँ, सिले-सिलाए वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कम्पोनेन्ट |
| 22 | लुधियाना | 9 | ऑटो कम्पोनेन्ट, बाइसिकल पुर्जे, होजयरी, सिलाई की मशीन के पुर्जे, औद्योगिक कसनी, हाथ के औजार, मशीन औजार, फोर्जिंग इलैक्ट्रोप्लेटिंग |

| | | | |
|----|----------------------|-----|---|
| 23 | जयपुर | 7 | जवाहरात और आभूषण, बाल बीयरिंग, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, खाद्य उत्पाद , परिधान, नींबू, मेकॅनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर |
| 24 | चेन्नै | 3 | ऑटो कम्पोनेन्ट, चमड़ा उत्पाद, इलैक्ट्रोप्लेटिंग |
| 25 | कोयम्बटूर | 6 | डीजल इंजिन, कृषि उपकरण, मशीन औजार, कास्टिंग और फोरजिंग, पावरलूम, वेट ग्राइंडिंग मशीन |
| 26 | तिरपुर | 1 | हौजयरी |
| 27 | नोएडा/गाजियाबाद | 10 | इलैक्ट्रानिक सामान, खिलौने, रसायन, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, परिधान, मेकॅनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, पैकेजिंग सामग्री, प्लास्टिक उत्पाद, रसायन |
| 28 | कानपुर | 3 | जीनसाजी, सूती हौजयरी, चमड़ा उत्पाद |
| 29 | वाराणसी | 4 | शीटवर्क (ग्लोब लैम्प), पावरलूम, कृषि औजार, बिजली के पंखे |
| 30 | देहरादून | 1 | छोटे वैक्यूम बल्ब |
| 31 | नासिक (शीघ्र खुलेगा) | 1 | स्टील फर्नीचर |
| | कुल | 149 | |

अनुबंध III

भारत में एसएमइ समूहों की सूची (यूएनआइडीओ द्वारा चुने गए)

| क्रम सं. | राज्य | जिला | स्थान | उत्पाद |
|----------|--------------|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | अनंतपुर | रायादुर्ग | सिले-सिलाए वस्त्र |
| 2 | आंध्र प्रदेश | अनंतपुर | चित्रदुर्ग | जीन्स के कपड़े |
| 3 | आंध्र प्रदेश | चित्तूर | नगरी | पावरलूम |
| 4 | आंध्र प्रदेश | चित्तूर | वेंटीमाल्टा, श्रीकालहस्ती, चुंदूर | तांबे के बर्तन |
| 5 | आंध्र प्रदेश | पूर्व गोदावरी | पूर्व गोदावरी | चावल मिल |
| 6 | आंध्र प्रदेश | पूर्व गोदावरी | राजमंदरी | ग्रेफाइट क्रूसिब्लस |
| 7 | आंध्र प्रदेश | पूर्व गोदावरी | पूर्व गोदावरी | कोयर और कोयर उत्पाद |
| 8 | आंध्र प्रदेश | पूर्व गोदावरी | राजमंदरी | अल्युमिनियम के बर्तन |
| 9 | आंध्र प्रदेश | पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी | पूर्व गोदावरी (पूगो) और पश्चिम गोदावरी | रिफेक्टरी उत्पाद |
| 10 | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | गुंटूर | पावरलूम |
| 11 | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | गुंटूर | नींबू काल्सीनेशन |
| 12 | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | मचेरला | लकड़ी का फर्नीचर |
| 13 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | हैदराबाद | छत के पंखे |
| 14 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | हैदराबाद | इलेक्ट्रॉनिक सामान |
| 15 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | हैदराबाद | फार्मास्युटिकल्स - दवाएं |
| 16 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | मुशीराबाद | चमड़े की टेनिंग |
| 17 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | हैदराबाद | हैंड पम्प सेट |
| 18 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | हैदराबाद | फाउंड्री |
| 19 | आंध्र प्रदेश | करीमनगर | सिरसिला | पावरलूम |
| 20 | आंध्र प्रदेश | कृष्णा | मछलीपट्टनम | सोने की परत और इमिटेशन आभूषण |
| 21 | आंध्र प्रदेश | कृष्णा | विजयवाड़ा | चावल मिल |
| 22 | आंध्र प्रदेश | कृष्णा | चुंदूर, कवाडिगुडा, चारमिनार, विजयवाड़ा | स्टील फर्नीचर |
| 23 | आंध्र प्रदेश | करनूल | अडोनी | तेल मिल |
| 24 | आंध्र प्रदेश | करनूल | करनूल | बनावटी हीरे |
| 25 | आंध्र प्रदेश | करनूल, कडप्पा | करनूल (बनागनापल्ली, बेथामचेरिया, कोलीमीगुडला, कडप्पा) | पॉलिश किए स्लेब |

| | | | | |
|----|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 26 | आंध्र प्रदेश | प्रकासम | मरकापुरम | पत्थर की स्लेट |
| 27 | आंध्र प्रदेश | रंगा रेड्डी | बालनगर, जेड्डीमेटला और कुक्टपल्ली | मशीन औजार |
| 28 | आंध्र प्रदेश | श्रीकाकुलम | पालसा | काजू प्रसंस्करण |
| 29 | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम, पूर्व गोदावरी | विशाखापट्टनम, काकीनाडा | समुद्री खाद्य |
| 30 | आंध्र प्रदेश | वारंगल | वारंगल | पावरलूम |
| 31 | आंध्र प्रदेश | वारंगल | वारंगल | ब्रासवेयर |
| 32 | आंध्र प्रदेश | पश्चिम गोदावरी | पश्चिम गोदावरी | चावल मिल |
| 33 | बिहार | बेगुसराई | बरौनी | इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन |
| 34 | बिहार | मुज्जफरपुर | मुज्जफरपुर | खाद्य उत्पाद |
| 35 | बिहार | पटना | पटना | तांबे और जर्मन चांदी के बर्तन |
| 36 | छत्तीसगढ़ | दुर्ग, राजनंदगाव, रायपुर | दुर्ग, राजनंदगाव, रायपुर | स्टील री-रोलिंग |
| 37 | छत्तीसगढ़ | दुर्ग, रायपुर | दुर्ग, रायपुर | ढलाई और धातु की वस्तुएं बनाना |
| 38 | दिल्ली | उत्तरी पश्चिम दिल्ली | वजीरपुर, बादली | स्टेनलेस स्टील के बर्तन और छुरी-कांटा |
| 39 | दिल्ली | दक्षिण और पश्चिम दिल्ली | ओखला, मायापुरी | रसायन |
| 40 | दिल्ली | पश्चिम और दक्षिण दिल्ली | नारैना और ओखला | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर |
| 41 | दिल्ली | पश्चिम और दक्षिण दिल्ली | नारैना और ओखला | इलेक्ट्रानिक सामान |
| 42 | दिल्ली | उत्तर दिल्ली | लॉरेन्स रोड | खाद्य उत्पाद |
| 43 | दिल्ली | दक्षिण दिल्ली | ओखला, वजीरपुर फ्लेटेड फैक्ट्रीस संकुल | चमड़ा उत्पाद |
| 44 | दिल्ली | दक्षिण, पश्चिम दिल्ली | ओखला, मायापुरी, आनंद पर्वत | मेकैनिकल इंजीनियरिंग उपकरण |
| 45 | दिल्ली | पश्चिम, दक्षिण, पूर्व दिल्ली | नारैना, ओखला, पतपरगुज | पैकेजिंग सामान |
| 46 | दिल्ली | पश्चिम और दक्षिण दिल्ली | नारैना और ओखला | कागज उत्पाद |
| 47 | दिल्ली | पश्चिम और दक्षिण दिल्ली | नारैना उद्योग नगर और ओखला | प्लास्टिक उत्पाद |
| 48 | दिल्ली | पश्चिम, दक्षिण, उत्तर-पश्चिम दिल्ली | नारैना, ओखला, शिवाजी मार्ग, नज़ाफगढ़ मार्ग | रबड़ उत्पाद |

| | | | | |
|----|--------|--|---|----------------------------|
| 49 | दिल्ली | उत्तर पूर्वी दिल्ली | शहादरा और विश्वासनगर | तार लगाना |
| 50 | दिल्ली | पश्चिम और उत्तर पश्चिमी | मायापुरी और वजीरपुर | धातु की वस्तुएं बनाना |
| 51 | दिल्ली | पश्चिम और उत्तर पूर्वी | किर्लीनगर और तिलक नगर | फर्नीचर |
| 52 | दिल्ली | उत्तर पूर्वी दिल्ली | वजीरपुर | इलेक्ट्रो प्लेटिंग |
| 53 | दिल्ली | दक्षिण,पश्चिम,उत्तरी पश्चिम और उत्तर पश्चिमी | ओखला,मायापुरी,नरैना, वजीरपुर बदली और जी.टी.करनल रोड | ऑटो कम्पोनेन्ट |
| 54 | दिल्ली | उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्व दिल्ली और दक्षिण | शाहदरा, गांधीनगर, ओखला और मैदानगड़ी | होजयरी |
| 55 | दिल्ली | दक्षिण और उत्तर पूर्वी | ओखला और शाहदरा | सिले-सिलाए वस्त्र |
| 56 | दिल्ली | दक्षिण दिल्ली | ओखला | सेनिटरी फिटिंग |
| 57 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | फार्मास्युटिकल्स |
| 58 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | डाय और इंटरमीडिएट्स |
| 59 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | प्लास्टिक की ढलाई का सामान |
| 60 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | सिले-सिलाए वस्त्र |
| 61 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | टेक्सटाइल मशीनरी के पुर्जे |
| 62 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद, धनडुका | हीरा प्रसंस्करण |
| 63 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | मशीन उपकरण |
| 64 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | ढलाई |
| 65 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | स्टील के बर्तन |
| 66 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | लकड़ी का उत्पाद और फर्नीचर |
| 67 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | कागज़ के उत्पाद |
| 68 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | चमड़े के चप्पल जूते |
| 69 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | धुलाई का पावडर और साबुन |
| 70 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | संगमरमर के पट्टे |
| 71 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | बिजली से चलने वाले पम्प |
| 72 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | इलेक्ट्रॉनिक सामान |
| 73 | गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | ऑटो पुर्जे |
| 74 | गुजरात | अमरेली | सावरकुंडला | वजन और माप |
| 75 | गुजरात | अमरेली,जुनागढ़,राज कोट | अमरेली,जुनागढ़,राजकोट बेल्ट | तेल मिल मशीनरी |

| | | | | |
|-----|---------|--------------|------------------------|----------------------------|
| 76 | गुजरात | भावनगर | अलंग | जहाज तोड़ना |
| 77 | गुजरात | भावनगर | भावनगर | स्टील री-रोलिंग |
| 78 | गुजरात | भावनगर | भावनगर | मशीन उपकरण |
| 79 | गुजरात | भावनगर | भावनगर | प्लास्टिक प्रसंस्करण |
| 80 | गुजरात | भावनगर | भावनगर | हीरा प्रसंस्करण |
| 81 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | पावरलूम |
| 82 | गुजरात | जामनगर | जामनगर | तांबे के पुर्जे |
| 83 | गुजरात | जामनगर | जामनगर | लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर |
| 84 | गुजरात | मेहसाणा | विजापुर | सूती कपड़े की बुनाई |
| 85 | गुजरात | राजकोट | धोराजी, गोंडल, राजकोट | तेल मिल |
| 86 | गुजरात | राजकोट | जेटपुर | टेक्सटाइल छपाई |
| 87 | गुजरात | राजकोट | मोरवी और वाकांनेर | फ्लोरिंग टाइल्स (क्ले) |
| 88 | गुजरात | राजकोट | मोरवी | दीवार की घड़ियां |
| 89 | गुजरात | राजकोट | राजकोट | डीजल इंजिन |
| 90 | गुजरात | राजकोट | राजकोट | इलेक्ट्रिक मोटर |
| 91 | गुजरात | राजकोट | राजकोट | ढलाई |
| 92 | गुजरात | राजकोट | राजकोट | मशीन उपकरण |
| 93 | गुजरात | राजकोट | राजकोट | हीरा प्रसंस्करण |
| 94 | गुजरात | सूरत | सूरत, चोरयासी | हीरा प्रसंस्करण |
| 95 | गुजरात | सूरत | सूरत | पावर लूम |
| 96 | गुजरात | सूरत | सूरत | लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर |
| 97 | गुजरात | सूरत | सूरत | टेक्सटाइल मशीनरी |
| 98 | गुजरात | सुरेन्द्रनगर | सुरेन्द्रनगर और थानगढ़ | सेरेमिक्स |
| 99 | गुजरात | सुरेन्द्रनगर | छोटिला | सेनिटरी फिटिंग |
| 100 | गुजरात | वडोदरा | वडोदरा | फार्मास्युटिकल दवाएँ |
| 101 | गुजरात | वडोदरा | वडोदरा | प्लास्टिक प्रसंस्करण |
| 102 | गुजरात | वडोदरा | वडोदरा | लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर |
| 103 | गुजरात | बलसाड | पारदी | डाय और इंटरमीडिएट्स |
| 104 | गुजरात | बलसाड/भरुच | वापी/अंकलेश्वर | रसायन |
| 105 | गुजरात | बलसाड/भरुच | वापी/अंकलेश्वर | फार्मास्युटिकल दवाएँ |
| 106 | गोवा | दक्षिण गोवा | मार्गो | फार्मास्युटिकल |
| 107 | हरियाणा | अंबाला | अंबाला | मिक्सी और ग्राइंडर |
| 108 | हरियाणा | अंबाला | अंबाला | वैज्ञानिक उपकरण |

| | | | | |
|-----|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 109 | हरियाणा | भिवानी | भिवानी | पावरलूम |
| 110 | हरियाणा | भिवानी | भिवानी | स्टोन क्रशिंग |
| 111 | हरियाणा | फरिदाबाद | फरिदाबाद | ऑटो पूर्ण |
| 112 | हरियाणा | फरिदाबाद | फरिदाबाद | इंजीनियरिंग क्लस्टर |
| 113 | हरियाणा | फरिदाबाद | फरिदाबाद | पत्थर तोड़ना |
| 114 | हरियाणा | गुडगांव | गुडगांव | ऑटो पूर्ण |
| 115 | हरियाणा | गुडगांव | गुडगांव | इलेक्ट्रॉनिक सामान |
| 116 | हरियाणा | गुडगांव | गुडगांव | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर |
| 117 | हरियाणा | गुडगांव | गुडगांव | सिले-सिलाए कपड़े |
| 118 | हरियाणा | गुडगांव | गुडगांव | मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर |
| 119 | हरियाणा | कैथल | कैथल | चावल मिल |
| 120 | हरियाणा | कर्नाल | कर्नाल | कृषि उपकरण |
| 121 | हरियाणा | कर्नाल, कुरुक्षेत्र,पानिपत | कर्नाल,कुरुक्षेत्र,पानिपत | चावल मिल |
| 122 | हरियाणा | पंचकुला | पिंजोर | इंजीनियरिंग उपकरण |
| 123 | हरियाणा | पंचकुला | पंचकुला | पत्थर तोड़ना |
| 124 | हरियाणा | पानिपत | पानिपत | पावरलूम |
| 125 | हरियाणा | पानिपत | पानिपत | शोडी यार्न |
| 126 | हरियाणा | पानिपत | समलखा | फाउंड्री |
| 127 | हरियाणा | पानिपत | पानिपत | सूती कातना |
| 128 | हरियाणा | रोहतक | रोहतक | नट्स/बोल्ट्स |
| 129 | हरियाणा | यमुना नगर | यमुना नगर | प्लाई वुड/ बोर्ड/ ब्लैक बोर्ड |
| 130 | हरियाणा | यमुना नगर | जगधी | बर्तन |
| 131 | हिमाचल प्रदेश | कुल्लु और सिरमौर | कुल्लु और सिरमौर | खाद्य प्रसंस्करण |
| 132 | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | दमतल | पत्थर तोड़ना |
| 133 | हिमाचल प्रदेश | सोलन | परवानु | इंजीनियरिंग उपस्कर |
| 134 | जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग | अनंतनाग | क्रिकेट बेट |
| 135 | जम्मू और कश्मीर | जम्मू | जम्मू | स्टील रि-रोलिंग |

| | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 136 | जम्मू और कश्मीर | जम्मू / कथुवा | जम्मू /कथुवा | तेल मिल |
| 137 | जम्मू और कश्मीर | जम्मू / कथुवा | कथुवा | चावल मिल |
| 138 | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | श्रीनगर | टिम्बर जोयनरी / फर्नीचर |
| 139 | झारखंड | सारीकेला-खरसावन | आदित्यपुर | ऑटो पुर्जे |
| 140 | झारखंड | पूर्व सिंहभूम | जमशेदपुर | इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन |
| 141 | झारखंड | बोकारो | बोकारो | इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन |
| 142 | कर्नाटक | बंगलूर | बंगलूर | मशीन उपकरण |
| 143 | कर्नाटक | बंगलूर | बंगलूर | पावरलूम |
| 144 | कर्नाटक | बंगलूर | बंगलूर | इलेक्ट्रॉनिक सामान |
| 145 | कर्नाटक | बंगलूर | बंगलूर | सिले-सिलाए वस्त्र |
| 146 | कर्नाटक | बंगलूर | बंगलूर | लाइट इंजीनियरिंग |
| 147 | कर्नाटक | बंगलूर | बंगलूर | चमड़े के उत्पाद |
| 148 | कर्नाटक | बेलगांव | बेलगांव | फाउंड्री |
| 149 | कर्नाटक | बेलगांव | बेलगांव | पावरलूम |
| 150 | कर्नाटक | बेल्लरी | बेल्लरी | जीन्स गारमेंट |
| 151 | कर्नाटक | बिजापुर | बिजापुर | तेल मिल |
| 152 | कर्नाटक | धारवाड़ | हुबली, धारवाड़ | कृषि उपकरण और ट्रेक्टर ट्रेलर |
| 153 | कर्नाटक | गडग | गडग बेटगीरी | पावरलूम |
| 154 | कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा गडग बेल्ट | दाल मिल |
| 155 | कर्नाटक | हसन | आरसिकारा | कोयर और कोयर उत्पाद |
| 156 | कर्नाटक | मैसूर | मैसूर | खाद्य उत्पाद |
| 157 | कर्नाटक | मैसूर | मैसूर | रेशम |
| 158 | कर्नाटक | रायचुर | रायचुर | चमड़ा उत्पाद |
| 159 | कर्नाटक | शिमोगा | शिमोगा | चावल मिल |
| 160 | कर्नाटक | दक्षिण कन्नड | मंगलूर | खाद्य उत्पाद |
| 161 | केरल | अलपुज्जा | अलपुज्जा | कोयर और कोयर उत्पाद |
| 162 | केरल | एर्नाकुलम | एर्नाकुलम | रबड़ उत्पाद |
| 163 | केरल | एर्नाकुलम | एर्नाकुलम | पावरलूम |
| 164 | केरल | एर्नाकुलम | कोच्ची | समुद्री खाद्य प्रसंस्करण |
| 165 | केरल | कन्नूर | कन्नूर | पावरलूम |

| | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 166 | केरल | कोल्लम | कोल्लम | कोयर और कोयर उत्पाद |
| 167 | केरल | कोट्टायम | कोट्टायम | रबड़ उत्पाद |
| 168 | केरल | मल्लापुरम | मल्लापुरम | पावरलूम |
| 169 | केरल | पालक्काड | पालक्काड | पावरलूम |
| 170 | केरल | | फैजलूर | पावरलूम |
| 171 | महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | ऑटो पूर्ज |
| 172 | महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | तेल मिल (सूती बीज) |
| 173 | महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | दाल मिल |
| 174 | महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | ऑटो पुर्ज |
| 175 | महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | फार्मास्युटिकल्स - दवाएं |
| 176 | महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा | चावल मिल |
| 177 | महाराष्ट्र | चंद्रपुर | चंद्रपुर | छत की टाइल्स |
| 178 | महाराष्ट्र | चंद्रपुर | चंद्रपुर | चावल मिल |
| 179 | महाराष्ट्र | धुले | धुले | मिर्ची पाउडर |
| 180 | महाराष्ट्र | गडचिरोली | गडचिरोली | ढलाई |
| 181 | महाराष्ट्र | गडचिरोली | गडचिरोली | चावल मिल |
| 182 | महाराष्ट्र | गोंदिया | गोंदिया | चावल मिल |
| 183 | महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | दाल मिल |
| 184 | महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | कृषि औजार |
| 185 | महाराष्ट्र | जालना | जालना | इंजीनियरिंग |
| 186 | महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर | डीजल इंजीन |
| 187 | महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर | फाउंड्री |
| 188 | महाराष्ट्र | कोल्हापुर | इचलकरंजी | पावरलूम |
| 189 | महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | इलेक्ट्रॉनिक सामान |
| 190 | महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | फार्मास्युटिकल - दवाएं |
| 191 | महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | खिलौने (प्लास्टिक) |
| 192 | महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | सिले-सिलाए कपड़े |
| 193 | महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | होसियरी |
| 194 | महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | मशीन उपकरण |
| 195 | महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | इंजीनियरिंग उपस्कर |
| 196 | महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | रसायन |
| 197 | महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | पैकेजिंग सामग्री |
| 198 | महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | हाथ के औजार |
| 199 | महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | प्लास्टिक उत्पाद |
| 200 | महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | पावरलूम |
| 201 | महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | इंजीनियरिंग और |

| | | | | |
|-----|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | फैब्रिकेशन |
| 202 | महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | स्टील फर्नीचर |
| 203 | महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर (बुटीबोरी) | सिले-सिलाए वस्त्र |
| 204 | महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | हाथ के औजार |
| 205 | महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | खाद्य प्रसंस्करण |
| 206 | महाराष्ट्र | नांदेड | नांदेड | दाल मिल |
| 207 | महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगांव | पावरलूम |
| 208 | महाराष्ट्र | नाशिक | नाशिक | स्टील फर्नीचर |
| 209 | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | ऑटो पुर्जे |
| 210 | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | इलेक्ट्रॉनिक सामान |
| 211 | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | खाद्य उत्पाद |
| 212 | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | सिले-सिलाए वस्त्र |
| 213 | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | फार्मास्युटिकल्स दवाएं |
| 214 | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | फाइबर कांच |
| 215 | महाराष्ट्र | रत्नागिरी | रत्नागिरी | कैन्ड और प्रसंस्कृत मछली |
| 216 | महाराष्ट्र | सांगली | सांगली | एमएस रॉड |
| 217 | महाराष्ट्र | सांगली | माधवनगर | पावरलूम |
| 218 | महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | चमड़ा टैनिंग |
| 219 | महाराष्ट्र | सोलापुर | सोलापुर | पावरलूम |
| 220 | महाराष्ट्र | सिंधुदुर्ग | सिंधुदुर्ग | काजू प्रसंस्करण |
| 221 | महाराष्ट्र | सिंधुदुर्ग | सिंधुदुर्ग | कॉपर परत वाले वायर |
| 222 | महाराष्ट्र | थाने | भिवंडी | पावरलूम |
| 223 | महाराष्ट्र | थाने | कल्याण | कॉन्फेक्शनरी |
| 224 | महाराष्ट्र | थाने | वाशिंद | रसायन |
| 225 | महाराष्ट्र | थाने | तारापुर, थाने-बेलापुर | फार्मास्युटिकल्स |
| 226 | महाराष्ट्र | थाने | थाने | समुद्री खाद्य |
| 227 | महाराष्ट्र | वरधा | वरधा | पिघलने वाला तेल |
| 228 | महाराष्ट्र | यवतमाल | यवतमाल | दाल मिल |
| 229 | मध्य प्रदेश | भोपाल | भोपाल | इंजीनियरिंग उपस्कर |
| 230 | मध्य प्रदेश | देवास | देवास | इंजीनियरिंग सामान |
| 231 | मध्य प्रदेश | पूर्व निमार | बृहनपुर | पावरलूम |
| 232 | मध्य प्रदेश | इंदौर | इंदौर | फार्मास्युटिकल दवाएं |
| 233 | मध्य प्रदेश | इंदौर | इंदौर | सिल-सिलाए वस्त्र |
| 234 | मध्य प्रदेश | इंदौर | इंदौर | खाद्य प्रसंस्करण |
| 235 | मध्य प्रदेश | इंदौर | पिथमपुर | ऑटो पुर्जे |

| | | | | |
|-----|-------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 236 | मध्य प्रदेश | जबलपुर | जबलपुर | सिले-सिलाए वस्त्र |
| 237 | मध्य प्रदेश | जबलपुर | जबलपुर | पावरलूम |
| 238 | मध्य प्रदेश | उज्जैन | उज्जैन | पावरलूम |
| 239 | उड़ीसा | बलनगिर | बलनगिर | चावल मिल |
| 240 | उड़ीसा | बलसोर | बलसोर | चावल मिल |
| 241 | उड़ीसा | बलसोर | बलसोर | पावरलूम |
| 242 | उड़ीसा | कट्टक | कट्टक | चावल मिल |
| 243 | उड़ीसा | कट्टक | कट्टक | रसायन और फार्मास्युटिकल्स |
| 244 | उड़ीसा | कट्टक | कट्टक (जगतपुर) | इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन |
| 245 | उड़ीसा | कट्टक | कट्टक | मसाले |
| 246 | उड़ीसा | धेनकनल | धेनकनल | पावरलूम |
| 247 | उड़ीसा | गंजम | गंजम | पावरलूम |
| 248 | उड़ीसा | गंजम | गंजम | चावल मिल |
| 249 | उड़ीसा | कोरापत | कोरापत | चावल मिल |
| 250 | उड़ीसा | पूरी | पूरी | चावल मिल |
| 251 | उड़ीसा | सम्बलपुर | सम्बलपुर | चावल मिल |
| 252 | पंजाब | अमृतसर | अमृतसर | चावल मिल |
| 253 | पंजाब | अमृतसर | अमृतसर | शॉडी यार्न |
| 254 | पंजाब | अमृतसर | अमृतसर | पावरलूम |
| 255 | पंजाब | फतेहगढ़ साहिब | मंडी गोविंदगढ़ | स्टील री-रोलिंग |
| 256 | पंजाब | गुरदासपुर | बटाला | मशीन उपकरण |
| 257 | पंजाब | गुरदासपुर | बटाला, गुरदासपुर | चावल मिल |
| 258 | पंजाब | गुरदासपुर | बटाला | कास्टिंग और फोरजिंग |
| 259 | पंजाब | जलंधर | जलंधर | खेल का सामान |
| 260 | पंजाब | जलंधर | जलंधर | कृषि उपकरण |
| 261 | पंजाब | जलंधर | जलंधर | हाथ के औजार |
| 262 | पंजाब | जलंधर | जलंधर | रबड़ का सामान |
| 263 | पंजाब | जलंधर | करतारपुर | लकड़ी का फर्नीचर |
| 264 | पंजाब | जलंधर | जलंधर | चमड़े का टेनिंग |
| 265 | पंजाब | जलंधर | जलंधर | चमड़े की चप्पल |
| 266 | पंजाब | जलंधर | जलंधर | शल्य उपकरण |
| 267 | पंजाब | कपूरथला | कपूरथला | चावल मिल |
| 268 | पंजाब | कपूरथला | फगवाड़ा | डिज़ल इंजीन |
| 269 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | ऑटो उपकरण |

| | | | | |
|-----|----------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 270 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | बाइसिकल के पुर्जे |
| 271 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | हौजयरी |
| 272 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | सिलाई एम/सी उपकरण |
| 273 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | औद्योगिक फास्टनर्स |
| 274 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | हाथ के औजार |
| 275 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | मशीन उपकरण |
| 276 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | फोर्जिंग |
| 277 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | इलेक्ट्रोप्लेटिंग |
| 278 | पंजाब | मोगा | मोगा | गेहूँ श्रेषर |
| 279 | पंजाब | पटियाला | पटियाला | कृषि उपकरण |
| 280 | पंजाब | पटियाला | पटियाला | काटने के उपकरण |
| 281 | पंजाब | संगरूर | संगरूर | चावल मिल |
| 282 | राजस्थान | अल्वर, एस.माधोपुर, भरतपुर | अल्वर, एस.माधोपुर, भरतपुर बेल्ट | तेल मिल |
| 283 | राजस्थान | अजमेर | किशनगढ़ | संगमरमर के पट्टे |
| 284 | राजस्थान | अजमेर | किशनगढ़ | पावरलूम |
| 285 | राजस्थान | अल्वर | अल्वर | रसायन |
| 286 | राजस्थान | बिकानेर | बिकानेर | पापड़ मंगोड़ी, नमकीन |
| 287 | राजस्थान | बिकानेर | बिकानेर | प्लास्टर ऑफ पेरिस |
| 288 | राजस्थान | दौसा | महुआ | सेंड स्टोन |
| 289 | राजस्थान | गंगानगर | गंगानगर | खाद्य प्रसंस्करण |
| 290 | राजस्थान | जयपुर | जयपुर | हीरे और जवाहरात |
| 291 | राजस्थान | जयपुर | जयपुर | बॉल बेरिंग |
| 292 | राजस्थान | जयपुर | जयपुर | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपकरण |
| 293 | राजस्थान | जयपुर | जयपुर | खाद्य उत्पाद |
| 294 | राजस्थान | जयपुर | जयपुर | वस्त्र |
| 295 | राजस्थान | जयपुर | जयपुर | नींबू |
| 296 | राजस्थान | जयपुर | जयपुर | मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपकरण |
| 297 | राजस्थान | झालवर | झालवर | संगमरमर के पट्टे |
| 298 | राजस्थान | नागपुर | नागपुर | हाथ के औजार |
| 299 | राजस्थान | सिकर | शिखावटी | लकड़ी का फर्नीचर |
| 300 | राजस्थान | सिरोही | सिरोही | संगमरमर के पट्टे |
| 301 | राजस्थान | उदयपुर | उदयपुर | संगमरमर के पट्टे |
| 302 | तमिलनाडु | चैन्नै | चैन्ने | ऑटो पूर्जे |

| | | | | |
|-----|--------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 303 | तमिलनाडु | चैन्ने | चैन्ने | चमड़े के उत्पाद |
| 304 | तमिलनाडु | चैन्ने | चैन्ने | इलेक्ट्रोप्लेटिंग |
| 305 | तमिलनाडु | कोयम्बतुर | कोयम्बतुर | डीज़ल इंजीन |
| 306 | तमिलनाडु | कोयम्बतुर | कोयम्बतुर | कृषि उपकरण |
| 307 | तमिलनाडु | कोयम्बतुर | त्रिपुर | हौजरी |
| 308 | तमिलनाडु | कोयम्बतुर | कोयम्बतुर | मशीन उपकरण |
| 309 | तमिलनाडु | कोयम्बतुर | कोयम्बतुर | कास्टिंग और फोर्जिंग |
| 310 | तमिलनाडु | कोयम्बतुर | कोयम्बतुर,पालादम,कन्नम पालयम | पावरलूम |
| 311 | तमिलनाडु | कोयम्बतुर | कोयम्बतुर | गिली पिसाई की मशीनें |
| 312 | तमिलनाडु | इरोड | सुरामपट्टी | पावरलूम |
| 313 | तमिलनाडु | करूर | करूर | पावरलूम |
| 314 | तमिलनाडु | मदुराई | मदुराई | सिले-सिलाए वस्त्र |
| 315 | तमिलनाडु | मदुराई | मदुराई | चावल मिल |
| 316 | तमिलनाडु | मदुराई | मदुराई | दाल मिल |
| 317 | तमिलनाडु | नमक्कल | थिरुचेनगोडे | रिग्स |
| 318 | तमिलनाडु | सालेम | सालेम | सिले-सिलाए वस्त्र |
| 319 | तमिलनाडु | सालेम | सालेम | स्टार्च और सेगो |
| 320 | तमिलनाडु | तंजवुर | तंजवुर | चावल मिल |
| 321 | तमिलनाडु | त्रिचुरापल्ली | त्रिचुरापल्ली | इंजीनियरिंग उपकरण |
| 322 | तमिलनाडु | त्रिचुरापल्ली | त्रिचुरापल्ली (ग्रामीण) | आर्टिफिशियल हीरे |
| 323 | तमिलनाडु | टुटिकोरिन | कोविलपति | माचिस |
| 324 | तमिलनाडु | वेल्लुर | अंबुर,वनियमबडी,पलार वेली | चमड़े का टैनिंग |
| 325 | तमिलनाडु | विरधुनगर | राजपालायम | सूती मिल (गेज़ कपड़ा) |
| 326 | तमिलनाडु | विरधुनगर | विरुधनगर | टिन कंटेनर |
| 327 | तमिलनाडु | विरधुनगर | शिवकासी | प्रिंटिंग |
| 328 | तमिलनाडु | विरधुनगर | विरधुनगर | माचिस और पटाखे |
| 329 | तमिलनाडु | विरधुनगर | श्रीवल्लीपुथुर | टोइलेट साबून |
| 330 | उत्तर प्रदेश | आगरा | आगरा | फाउंड्री |
| 331 | उत्तर प्रदेश | आगरा | आगरा | चमड़े के चप्पल-जूते |
| 332 | उत्तर प्रदेश | आगरा | आगरा | मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर |
| 333 | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | अलीगढ़ | ब्रास और गनमेटल की मूर्तियां |
| 334 | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | अलीगढ़ | ताले |
| 335 | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | अलीगढ़ | भवन हार्डवेयर |
| 336 | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | माऊ | पावरलूम |

| | | | | |
|-----|--------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 337 | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | माऊ एमा | चमड़े के उत्पाद |
| 338 | उत्तर प्रदेश | बांदा | बांदा | पावरलूम |
| 339 | उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | खुरजा | सिरेमिक्स |
| 340 | उत्तर प्रदेश | फिरोज़ाबाद | फिरोज़ाबाद | कांच के उत्पाद |
| 341 | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | नोएडा | इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद |
| 342 | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | नोएडा | खिलौने |
| 343 | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | नोएडा | रसायन |
| 344 | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | नोएडा | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर |
| 345 | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | नोएडा | वस्त्र |
| 346 | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | नोएडा | मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर |
| 347 | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | नोएडा | पेकेजिंग सामान |
| 348 | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | नोएडा | प्लास्टिक उत्पाद |
| 349 | उत्तर प्रदेश | गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | रसायन |
| 350 | उत्तर प्रदेश | गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर |
| 351 | उत्तर प्रदेश | गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | पेकेजिंग सामान |
| 352 | उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | गोरखपुर | पावरलूम |
| 353 | उत्तर प्रदेश | हथरस | हथरस | शीटवर्क (ग्लोब लैम्प) |
| 354 | उत्तर प्रदेश | झांसी | झांसी | पावरलूम |
| 355 | उत्तर प्रदेश | कनौज | कनौज | परफ्यूमरी और एसेंशियल तेल |
| 356 | उत्तर प्रदेश | कानपुर | कानपुर | सैंडेली |
| 357 | उत्तर प्रदेश | कानपुर | कानपुर | सूती हौजयरी |
| 358 | उत्तर प्रदेश | कानपुर | कानपुर | चमड़े के उत्पाद |
| 359 | उत्तर प्रदेश | मिरठ | मिरठ | खेल उत्पाद |
| 360 | उत्तर प्रदेश | मिरठ | मिरठ | कैंची |
| 361 | उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | मुरादाबाद | ब्रासवेयर |
| 362 | उत्तर प्रदेश | मुजफ्फर नगर | मुजफ्फर नगर | चावल मिल |
| 363 | उत्तर प्रदेश | सहरानपुर | सरहानपुर | चावल मिल |
| 364 | उत्तर प्रदेश | सहरानपुर | सहरानपुर | लकड़ी का काम |
| 365 | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | वाराणसी | शीटवर्क (ग्लोब लैम्प) |
| 366 | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | वाराणसी | पावरलूम |
| 367 | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | वाराणसी | कृषि उपकरण |
| 368 | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | वाराणसी | बीजली का पंखा |

| | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| 369 | उत्तरांचल | देहरादून | देहरादून | मिनियेचर वेक्यूम बल्ब |
| 370 | उत्तरांचल | हरिद्वार | रुरकी | सर्वे उपकरण |
| 371 | उत्तरांचल | उधम सिंह नगर | रुद्रपुर | चावल मिल |
| 372 | पश्चिम बंगाल | बंकुरा | बरजोरा | मछली पकड़ने का हुक (जानकारी बाकी) |
| 373 | पश्चिम बंगाल | एचएमसी और बाली मुनिसिपल क्षेत्र | हावड़ा | फाउंड्री |
| 374 | पश्चिम बंगाल | हावड़ा | बरगछिया,मानसिंहपुर,हंतल,शाहदत पुर और जगतबलावपुर | लॉक |
| 375 | पश्चिम बंगाल | हावड़ा | एचएमसी और बाली मुनिसिपल क्षेत्र सिवोक रोड | स्टील रि-रोलिंग |
| 376 | पश्चिम बंगाल | हावड़ा | दोमजुर | नकली और सच्चे जवाहरात |
| 377 | पश्चिम बंगाल | कूच बिहार | कूच बिहार - I, तुफानगंज, माथाबंधा, मेखलीगंज | सितलपति/फर्नीचर |
| 378 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | वेलींगटन, खानपुर | बिजली के पंखे |
| 379 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | सोवाबाजार,कोसीपुर | हौजयरी |
| 380 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | मेंतियाबुर्ज, वार्ड नं. 138 से 141 | सिले-सिलाए वस्त्र |
| 381 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | तिलजला, टोपसिया, फूलबागान | चमड़े के उत्पाद |
| 382 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | दासपारा (उल्टाडांगा), अहीरीतोला | दाल मिल |
| 383 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | तलताला, लेनिन, सारणी | मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपकरण |
| 384 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | बोबाजार, कालीघाट | लकड़ी के उत्पाद |
| 385 | पश्चिम बंगाल | नाडिया | मतियारी, धर्मादा, नाबाडविप | बेल/धातु के बर्तन |
| 386 | पश्चिम बंगाल | नाडिया | राजघाट | पावरलूम |
| 387 | पश्चिम बंगाल | पुरुलिया | जालदा प्रोपर, पुरुलिया,बेगुनकोदर और तानसी | हाथ के औजार |
| 388 | पश्चिम बंगाल | दक्षिण 24 परगना | कल्याणपुर, पुरंदरपुर, धोपागच्छी | शल्य संबंधी उपकरण |

मास्टर परिपत्र
माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

| सं. | परिपत्र सं. | तारीख | विषय | पैराग्राफ सं. |
|-----|--|------------|---|----------------------|
| 1. | <u>ग्राआरूवि.एसएमई एंड एनएफएस.बीसी. सं.35/06.02.31(पी)/2010-11</u> | 06.12.2010 | इकाइयों का स्वामित्व – एक ही स्वामित्व के अंतर्गत दो या उससे अधिक उपक्रम – इकाई की स्थिति | 1 (iv) |
| 2. | <u>ग्राआरूवि.एसएमई एंड एनएफएस सं.90/06.02.31/2009-10</u> | 29.06.2010 | एमएसएमई पर प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की सिफारिशें | III – 3.1, 3.2, 4.15 |
| 3. | <u>ग्राआरूवि.एसएमई एंड एनएफएस.बीसी. सं.79/06.02.31/2009-10</u> | 06.05.2010 | माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) हेतु ऋण गारंटी योजना की समीक्षा के लिए कार्य-दल - एमएसई को संपार्थिक रहित ऋण | IV – 4.2, 4.19 |
| 4. | <u>ग्राआरूवि.एसएमई एंड एनएफएस सं.9470/06.02.31(पी)/2009-10</u> | 11.03.2010 | माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को संमिश्र ऋण स्वीकृति | IV – 4.3 |
| 5. | <u>ग्राआरूवि.एसएमई एंड एनएफएस सं.5984/06.04.01/2009-10</u> | 01.12.2009 | माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्धता | IV – 4.9 (iii) |
| 6. | <u>ग्राआरूवि.एसएमई एंड एनएफएस सं.13657/06.02.31(पी)/2008-09</u> | 18.06.2009 | पीएमइजीपी के अंतर्गत वित्तपोषित इकाइयों को संपार्थिक रहित ऋण | IV – 4.2 |
| 7. | <u>ग्राआरूवि.एसएमई एंड एनएफएस सं.102/06.04.01/2008-09</u> | 04.05.2009 | माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रदान कराना | IV – 4.9 (ii) |
| 8. | <u>ग्राआरूवि.एसएमई एंड एनएफएस सं.12372/06.02.31(पी)/2007-08</u> | 23.05.2008 | ऋण सहलग्न पूंजी सब्सिडी योजना | IV – 4.11 |
| 9. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.63/06.02.31/2006-07</u> | 04.04.2007 | माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना-माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम,2006 लागू करना | I |
| 10. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.35/06.02.31/2005-06</u> | 25.08.2005 | माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम को ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज - केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा(निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों तथा क्षेत्राबैंकों के लिए) | IV – 4.13.1 |
| 11. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.31/06.02.31/2005-06</u> | 19.08.2005 | माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम को ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज - केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई | IV – 4.13.1 |

| | | | | |
|-----|--|------------|--|---------------|
| | | | घोषणा (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए) | |
| 12. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.101/06.02.31/ 2004-05</u> | 20.05.2005 | लघु उद्यम वित्तीय केन्द्रों (एसइएफसी) हेतु योजना | II – 2.2 |
| 13. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. बीसी.61/006.02.31 (डब्ल्यूजी)/2004-05</u> | 08.12.2004 | लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता पर कार्यकारी दल - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की बाध्यताओं में कमी के स्थान पर सिडबी का ब्याज दर | III – 3.3 |
| 14. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. बीसी.43/06.02.31/2004-05</u> | 26.10.2004 | लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों द्वारा निवेश | II – 2.1 |
| 15. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. बीसी.28/06.02.31 (डब्ल्यूजी)/2004-05</u> | 04.09.2004 | लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता पर कार्यकारी दल | IV – 4.12.3 |
| 16. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. बीसी.39/06.02.80/2003-04</u> | 03.11.2003 | लघु उद्योग को ऋण सुविधाएं - संपार्श्विक मुक्त ऋण | IV – 4.2 |
| 17. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. 1/06.02.28(i)/2003-04</u> | 01.07.2003 | एसएसी बैठक कार्यबिंदुओं का कार्यान्वयन - समूहों की पहचान | IV – 4.10 (i) |
| 18. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. बीसी.24/06.02.77/2003-04</u> | 04.10.2002 | लघु उद्योग को ऋण उपलब्ध कराना - ऋण आवेदनों के निपटान हेतु समय-सारणी | IV – 4.1 |
| 19. | <u>डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी. 74/22.01.001/2002</u> | 11.03.2002 | सामान्य बैंकिंग शाखाओं का विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं में परिवर्तन | IV – 4.4 |
| 20. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. बीसी.57/06.04.01/2001-02</u> | 16.01.2002 | रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास हेतु दिशा-निर्देश | IV – 4.6 |

| | | | | |
|-----|---|------------|--|---------------------|
| 21. | <u>आईसीडी.सं.5/08.12.01/ 2000-01</u> | 16.10.2000 | लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता- मंत्रियों के समूह का निर्णय | IV – 4.5 अंतिम पैरा |
| 22. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. बीसी.89/06.02.31/98-99</u> | 14.06.1999 | लघु एवं अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1998 | IV – 4.12.2 (ii) |
| 23. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. बीसी.22/06.02.31(ii)/98-99</u> | 28.08.1998 | लघु उद्योग पर उच्च स्तरीय समिति- कपूर समिति-सिफारिशों का कार्यान्वयन | IV – 4.12.1 |
| 24. | <u>ग्राआरूवि.प्लान.बीसी.38/ 04.09.09/94-95</u> | 22.09.1994 | विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार | III – 3.3 |
| 25. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. बीसी.84/06.02.12/93-94</u> | 07.01.1994 | केवीआइ क्षेत्र को बैंक ऋण - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का अग्रिम | I – 1.1 |
| 26. | <u>ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस. बीसी.99/06.02.31/92-93</u> | 17.04.1993 | लघु उद्योग क्षेत्र को पर्याप्त संस्थागत ऋण की जांच हेतु तथा संबंधित पहलुओं पर समिति की रिपोर्ट | IV – 4.12.2 |